भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
परियोजना एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS  

कार्यक्रम: 6-MPB 063/2010-BHO 1917  

प्रिय सर,  

c) सुभाष सांस्कृतिक,  

मेघधर्म शासन   

राष्ट्रीय जिले के अन्तर्गत वन वाणिज्य मंत्रालय में 6 मेघधर्म विभाग समन्वय परियोजना के हेतु 4.24 हेक्टेयर का मूलभूमि सुधारक समर्थन की जिम्मेदारी है।  

संबंधी: 1. इस कार्यवाही का प्रस्ताव 6-एम-बी-पी 063/2010-भी-एम-बी/1608 विनिमय 27/08/2010  
2. अधिकारी प्रस्ताव मु/००४०५०/सू/प्र-प्रविध.एम-नं ४१. अधिकारी मध.प्र. प्रविध || एम-ए-४/१६/१३/२०१०/  

10-11/विनिमय/३४२६ विनिमय ८/१०/१०  

यद्यपि,  

कृपया अधिकारी प्रविध में वन, प्रमाण (सू-प्रविध.एम) एवं नंदेन अधिकारी, मध.प्र. प्रविध को यह निर्देश द्वारा हेतु 4.24 हेक्टेयर का मूलभूमि सुधारक समर्थन की जिम्मेदारी का अनुमोदन किया गया था।  

उपरोक्त कार्यों के उत्तर्देश्य हेतु प्रतियां देने के लिये इस कार्यवाही के उपरोक्त संदर्भ में पत्र (1) हेतु, उसमें लगभग गर्वी शर्तों के अधीन मिलता-जुलता साइनिक हो गयी थी।  

उपरोक्त संदर्भ में यह (2) हेतु में जवाब अधिकारी, मध.प्र. प्रविध राष्ट्रीय जिले के संकल्पना भर के अनुसार उपभोक्ताओं की ओर से संचालन में 6 मेघधर्म विभाग समन्वय परियोजना हेतु 4.24 हेक्टेयर का मूलभूमि सुधारक समर्थन को नवनिर्माण उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का भाग-2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर अपेक्षित अनुमोदन किया जाता है:  

1. बन्धुमूली का वैश्विक व्यवस्था अपरिष्कृत रहेगा।  

2. जवाब उपभोक्ता उपभोक्ताओं के खर्च पर सर्व 1/2, इसमें शामिल है-विलिग्राम, तन्त्रिकान्त-आगर, ताहील-बडौद, जिला-शाजापुर में 4.25 हेक्टेयर का मूलभूमि पर अधिकृत वृक्षारोपण किया जायेगा।  

3) इसमें मूलभूमि का अर्थात् उन उपभोक्ता जिनका हेतु वन वाणिज्य वन मंत्रालय की ओर से 4 के अनुसार जारी सुविधा वृक्षारोपण का एक प्रति उपभोक्ताओं के अधिकारियों को यह बन्धुमूली स्वीकार के 6 महीने के अंदर नंदेन अधिकारी द्वारा इस कार्यवाही का प्रति किया जाएगा।  

...2
5. (i) The Vane tips of the wind turbine shall be painted with orange colour to avoid bird hits.

(ii) The lease period shall be for a period of 30 years. The forest land will first be leased in favour of the developers and within a period of 4 years of Stage-I approval, the lease shall be transferred in the name of investor/power producers. In case the developers fail to develop wind farms, the land shall be reverted back to Forest Department without any compensatian.

(iii) A lease rent of Rs. 30,000/- per MW for the period of lease in addition to compensatory afforestation, Net Present Value etc. shall be charged from the user agency. This amount shall be utilized in providing gas connections to the local villagers under the Joint Forest Management Programme and for other conservation measures. This amount shall be despoited with Compensatory Afforestation Management and Planning Agency (CAMPA).

(iv) Around 65% to 70% lease out areas in the wind farms shall be utilized for developing medicinal plant gardens, wherever feasible, by the Forest Department at the cost of the user agency. The State/UT Governments could also take help of National Medicinal Plant Board in properly creating corridors of medicinal plant gardens. The intervening areas between two wind mills footprints should also be planted up by dwarf species of trees at the project cost.

(v) Soil & Moisture conservation measures like contour trenching shall be taken up on the hillocks supporting the wind mill.

(vi) The alignment of roads shall be done by a recognized firm and got approved by the Divisional Forest Officer concerned. Further, the transmission lines from the wind farms to the grid as far as possible should also be aligned collateral along the roads.

(vii) The wind turbine/ wind mills to be used on forest land under this project shall be approved for use in the country by the Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Govt. of India.

6. वनरूपी के इतरांतर छाया धारण से पूर्व भारतवासीय अनुसंधान एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य फैलस्थित जनजाती (अनुसूचितकरण की गार्डीन) अभियान, 2006 राष्ट्रीय विभिन्न नियमों, विधिनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जायेगा।

7. वनरूपी का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कौशल सरकार अतिरिक्त सरकार लगावे जाने की क्षमता में राज्य सरकार द्वारा इसकी सुनिश्चित करने को ही जागरूक।

[Signature]

[Date]